उत्तराखण्ड शासन,
आवास विभाग,
संख्या– 1372 / V / आ0–2009–67(आ0) / 2008
देहरादून:: दिनांक: 06 जुलाई, 2009

अधिसूचना

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक में प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए विकास क्षेत्रों में सम्पत्ति के कतिपय अन्तरणों पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के प्रतिशत को 02 प्रतिशत से घटाकर 01 प्रतिशत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन वसूल किये गये 1 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क का आवंटन और भुगतान अनुषांगिक व्ययों को, यदि कोई हो, घटाने के पश्चात नगर निगम या नगर पालिका परिषद और विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित अनुपात में दिया जायेगा:–

(1) यथा स्थिति नगर निगम या नगर पालिका परिषद को – 0.50 प्रतिशत
(2) विकास प्राधिकरण को – 0.50 प्रतिशत

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव।

संख्या–1372 (1) / V / आ0–209–तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड(ख) में माह जुलाई,2009 को प्रकाशित करने तथा अधिसूचना की 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण,हरिद्वार / देहरादून।
3. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।
4. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव।